



Date: 12-10-26

The need to preserve the shine of Indian elections

Elections are by far the best organised expression of "we, the people" and hence cannot be allowed to fail

Akshay Rout, [Former Director General, Election Commission of India and a public policy commentator]



The intense and unabated protests happening around and about the Election Commission of India (ECI) have thrown up a bigger question - whether the much vaunted Indian election is losing its shine. This concern is irrespective of when and how the immediate fire is doused, for the smoke could linger. The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and its management have raised many questions during the last year, inviting attention, litigation and agitation. But the malaise facing the Indian electoral system is even wider. The unidimensional nature of the present noise might be drowning a larger challenge; the current scenario may only be a wakeup call.

Elections, branded as among India's topmost soft powers for decades, may have finally hit a phase of devaluation. The country's enviable delivery of democratic elections, compared to dozens of countries in Asia, Africa and West Asia, which became independent around the same time, might have had the evil eye cast on them. Not only election managers, but the executive, the legislature, the judiciary, the winners and the losers in elections, as well as the wider voting community need to be play an alert remedial role in order to properly address the concerns of the electoral system.

Prime asset

Popular and credible elections have given the Indian nation critical stability, reasonable governance, post-colonial reconstruction and a pathway to development, besides the tenacity to counter external threats. The exercise of equal franchise by the sick and the elderly and by a people who are unequal socially and economically is part of India's electoral folklore as also are the latest trends of women activism in voting. Despite rampant poverty and illiteracy at the time of independence, ordinary Indians have learned about the strength of their votes, and have nurtured a respect for the polling process. They wait for their turn periodically to place or remove candidates at positions of decision making.

The process has worked remarkably well compared to other parts of Indian enterprise. Apart from the framers of the Constitution led by Dr. Bhimrao Ambedkar, who laid the seeds of parliamentary democracy,

the credit duly rests on the ECI machinery, from the Nirvachan Sadan in New Delhi to the million plus polling booths across the country. The scale of the task- the 2024 national elections saw about 98 crore electors spread across India's vast and varied topography- with the massive logistics that it entails, and the finesse of its disposal, have kept advanced nations wonder-struck. The ECI has justifiably emerged as a school for election managers from a range of countries which are still groping for ways to execute such a huge and sensitive mandate. Further, the Commission set up the India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) to impart lessons in conducting flawless elections. Younger nations look up to India's election management as a guiding star amidst other falling models.

However, there are grey, if not dark clouds on the horizon. It may still be an exaggeration to suggest that the Indian elections are corroded but malignant encroachments cause an unsettling feeling. While elections have always been fiercely contested, with even a few social faultlines such as caste and community getting interwoven into the outcome, the results were mostly received with stoic calm. But no more. What has taken over are chronic allegations about the partisan conduct of the poll body, and aggressive grievance bordering on a rejection of the electoral results. The argument that this is part of a global decline of democratic values, and has also infected developed democracies such as the U.S., holds no consolation. No country on earth needs democracy more than India does. No country needs elections more than India does.

A different game

Elections in India have changed with the times. Ground level campaigns and door-to-door canvassing have given way to digital battles where fast moving disinformation and deep fakes are the new weaponry. While muscular assaults such as booth capturing, voter intimidation, and bogus voting of the earlier decades were bad enough, they were still limited to certain pockets. Now, the possibility of manipulating the voter database through undue enfranchisement or disenfranchisement poses a threat at a larger scale.

The influence of money power over elections, with its ability to upset the sacred level-playing field, has grown enormously compared to localised distribution of cash or goodies in the past. Expenditure reports of candidates submitted to the ECI post-election, and accounted party spends are just tip of the icebergs; unofficial estimates of poll finances are much larger. The institutional release of cash into the wallets of population segments, touted as welfare, has distorted electoral integrity, besides public finance. The Economic Survey 2026 puts the strain of such unconditional cash transfers on States at a staggering 1.7 lakh crore. Such brazen transactions through the front door have subverted policy and candidate level contest, causing worries to the ECI and the Supreme Court.

Post poll subversion casts a darker shadow. Wholesale defections increasingly undermine the people's mandate for a candidate and party. Instead of reining in party hoppers, the anti-defection law has induced the bulk transfer of elected legislators thanks to exceptions allowed in the 10th Schedule. Opportunistic realignments have made a mockery of voters' choice in the absence of a recall system. The stream of present-day lawmakers dumping manifesto and ideology and switching parties at ease, make the earlier 'Aya Ram Gaya Rams' in Indian politics look like timid angels. The Speaker's recognition and symbol allocation by the ECI are critical follow ups to such mutations which have also not been free of partisan accusations.

Election management itself has got embroiled in institutional issues sparking opposition and street protests. The SIR exercise, which began a year ago, has left a trail of dust while approaching the finish line. Meanwhile, the provision of appointing Election Commissioners through a collegium under the 2023

enactment has not helped matters; and is still under the study of Supreme Court. The usual regulatory functions of the ECI such as the preparation of the electoral roll, the administration of the Model Code of Conduct, the announcement of results, and more recently, intra-organisational functioning are routinely moving into zones of contention, despite significant back up from higher courts. The distrust vocalised by polarised political entities can percolate down to ordinary citizens and create hopelessness.

Sukumar Sen, the Chief Election Commissioner for the first elections conducted in independent India in 1951, had unimaginable logistical challenges to handle, but certainly not one of trust. Today, after 75 years of experience and growing resources, while the massive logistics in elections is routine, trust has become the issue.

Urgent, collective imperative

Elections are by far the best organised expression of "we, the people" and hence cannot be allowed to fail. Political rhetoric is not part of the solution. The election process and its management are too precious to be made scapegoats in inter-party fights. Political parties need to do a collective and apolitical sit-down for the systemic fortification of Indian elections by building more safeguards and accountability and plugging structural and legal loopholes - basically, doing whatever is necessary and whatever it takes. The introduction of a three-member Commission to replace the single Chief Election Commissioner in 1993 had this very logic. There are multiple demands to be met: the better regulation of political financing and the menace of freebies; shielding of the electoral process from criminalisation; and dealing with the threat of AI-abetted fake narratives. Voters as well as those who are voted for must be insulated against inducements in discharge of their democratic functions. Arresting further deterioration will require collective work beyond partisan self-interest. And above everything else, trust has to be worked back into the system.



दैनिक जागरण

Date: 12-10-26

आर्थिकी को नई धार देने की कोशिश

डॉ. जयन्तीलाल भंडारी, (लेखक अर्थशास्त्री हैं)



हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में जीएसटी को सरल एवं बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव किए। ये बदलाव करीब एक साल पहले जीएसटी दरों और स्लैब को कम करने के लिए गए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बाद अब जीएसटी व्यवस्था में सुधार को नई धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीएसटी परिषद के नए फैसले पंजीकरण,

टैक्स रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी), कर प्रवर्तन, निर्यात, विवाद निपटान और विभिन्न प्रदेशों के बीच वस्तुओं की आवाजाही से जुड़े नियमों को सरल और लाभप्रद बनाने से संबंधित हैं। वस्तुतः यह पूरी कवायद, व्यापार सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) और कर अनुपालन के सरलीकरण पर केंद्रित हैं।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने और अभियोजन की सीमा को बढ़ाए जाने की ऐतिहासिक सिफारिश की है। इससे 'कर आतंक' का डर खत्म होगा और ईमानदारी से व्यापार करने वालों का भरोसा बढ़ेगा। परिषद ने आइटीसी और रिफंड की प्रक्रियाओं को बेहद तेज और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इससे व्यवसायों के पास नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे वे नया निवेश कर सकेंगे। कुल कर देनदारी 10,000 रुपये से कम होने पर जीएसटी के तहत कारण बताओ नोटिस नहीं दिए जाने, सामान्य जुर्माने की सीमा घटाए जाने और भारतीय कंपनियों के विदेशी कारोबार को कुछ शर्तों के साथ निर्यात माने जाने संबंधी सिफारिशों से उद्योग-कारोबार के विकास का नया दौर शुरू होगा। खासतौर से छोटे और असंगठित विक्रेताओं को ई-कामर्स प्लेटफार्म के वेयरहाउस का उपयोग कर व्यापार करने की अनुमति मिलने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार इन बदलावों से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी, अनुपालन लागत में कमी आएगी और करदाताओं को आटोमेटेड रिफंड की सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाले इन नए जीएसटी सुधारों से जहां जीएसटी संबंधी मुश्किलों का सामना कर रहे एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा, वहीं कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, महंगाई और कमजोर मानसून जैसी चुनौतियों का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार पकड़ने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2026 की अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, अमेरिकी व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताएं, महंगाई और देश में कमजोर मानसून से निर्मित परिस्थितियां इस समय देश की आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने में बड़ी चुनौती बन गई हैं। हालांकि आरबीआइ द्वारा प्रकाशित बुलेटिन 'स्टेट आफ द इकोनमी' के अनुसार इन सबके बावजूद मजबूत घरेलू बुनियाद के दम पर देश की अर्थव्यवस्था दमदार बनी हुई है। इस परिदृश्य के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर सकती है, जबकि पहली तिमाही में भारत ने 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन देखने को मिला है। हाल में प्रकाशित विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के पूर्व निर्धारित अनुमान 6.6 प्रतिशत को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है। भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान में बढ़ोतरी का मुख्य आधार मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत में लगातार सुधार और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकारी एवं निजी निवेश में आई तेजी है। इसी कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीएए 3' पर बनाए रखा है और देश के आर्थिक आउटलुक को 'स्थिर' रखा है। दुनिया की प्रसिद्ध जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआर) ने भारत की सावरेन रेटिंग को भी बीबीबी+ से बढ़ाकर ए- कर दिया है। यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि,

ठोस निजी खपत, निरंतर सार्वजनिक निवेश और सुदृढ़ होती वित्तीय व्यवस्था के कारण संभव हुआ है। यद्यपि विकास की गति सकारात्मक है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत को वैश्विक और घरेलू आर्थिक चुनौतियों का रणनीतिपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा।

निःसंदेह देश की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने और जीएसटी व्यवस्था को और अधिक कारगर बनाने के लिए कई और बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि जीएसटी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार नियंत्रित करना होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा न करने पर ईमानदार खरीदारों के कर जमा (इनपुट टैक्स क्रेडिट) को रोके जाने से बचाने के लिए कड़े कानूनी सुरक्षा नियम लागू करने होंगे। एमएसएमई और निर्यातकों के लिए कर वापसी प्रक्रिया को शत-प्रतिशत स्वचालित और जोखिम-आधारित बनाकर व्यावसायिक पूंजी का प्रवाह तेज करना होगा। करदाताओं और अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क को समाप्त करने वाली कर-अधिनिर्णयन प्रणाली को सभी राज्यों में पूरी तरह लागू करना होगा।



Date: 12-10-26

आंदोलन की दिशा

संपादकीय

'जंतर मंतर 2.0' आंदोलन से ऐन पहले जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता-धर्ताओं को जहां-तहां से हिरासत में लिया गया, उसी से यह साफ हो गया था कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उसने न सिर्फ तमाम एहतियाती उपाय किए, बल्कि हजारों प्रदर्शनकारियों को आंदोलन स्थल पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसलिए रविवार का दिन अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की इस सख्ती पर जिस तरह की टिप्पणी की, उसके गहरे निहितार्थ हैं। गौरतलब है, शनिवार के आंदोलन को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशन शुक्रवार रात से ही बंद कर दिए गए थे और नई दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाली दर्जनों रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि कानून के मुताबिक शहर में लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से होनी चाहिए और केवल कानून के अनुसार ही गिरफ्तारी की जा सकती है। उसने यह भी स्पष्ट कहा कि जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू नहीं है, वहां ऐसी हिरासत से बचा जाए।

इसका अर्थ है कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न हो, साथ ही कानून का राज भी बना रहे। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व

सक्रिय हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ मारपीट के वीडियो इसकी तस्दीक करते हैं। यह अच्छा है कि दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की और कुछ को गिरफ्तार किया। सुखद यह भी है कि शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई, यानी मंगलवार तक राजधानी में मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं की निर्वाह बहाली सुनिश्चित करने और अनावश्यक बैरिकेड्स हटाने की बात कही है। यह संकेत है कि हमारी संस्थाएं अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना बखूबी जानती हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रवक्ता को 'सामूहिक हिरासत संबंधी खबरों' से 'चिंतित होने का मतलब ही नहीं था, और हमारी सरकार ने भारतीय संविधान की उदारता का हवाला देते हुए उनके इस कृत्य को स्वाभाविक ही 'आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप' बताया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसका जल्द अंत होना आवश्यक है। भारतीय चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख है और यह भरोसा डिगना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति से भी बचने की जरूरत है। निस्संदेह, विरोध-प्रदर्शन जीवंत लोकतंत्र की पहचान हैं, लेकिन ये सकारात्मक सोच के साथ होने चाहिए, नकारात्मक नहीं। इतना ही नहीं, यदि ऐसे प्रदर्शनों से आम जनजीवन प्रभावित हो, तो आंदोलनकारियों को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए भी यह प्रकरण आईने की तरह है। उनको यह समझना होगा कि नागरिकों के हित में उनके हित निहित हैं। सांविधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में निहित है, और उसका सम्मान सभी के लिए आवश्यक है। इसीलिए, संयम और संवाद से ही समस्या का हल तलाशना बेहतर होगा। हालांकि, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक आंदोलनों से लोगों की असहमति बाहर आती है, जिससे लोकतंत्र का इकबाल बुलंद होता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का एक मूक संदेश यह भी निकाला जा सकता है।

Date: 12-10-26

अमेरिकी कार्रवाई की काट खोजे भारत

आलोक जोशी, (वरिष्ठ पत्रकार)

अमेरिका ने भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यही नहीं, उसने आठ बड़ी अमेरिकी और भारतीय आईटी कंपनियों को अपने 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' या पर्म प्रोग्राम से निलंबित करने का एलान किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड की अर्जी के लिए प्रमाणित नहीं कर पाएंगी। ग्रीन कार्ड अमेरिका में काम कर रहे विदेशी लोगों के लिए एक तरह का परमिट है, जिससे अमेरिकी नागरिक बने बिना उन्हें वहां स्थायी रूप से रहने और काम करने की छूट मिलती है।

ट्रंप प्रशासन ने यह एलान भी बहुत नाटकीय अंदाज में किया। अमेरिकी सरकार के तीन बड़े अधिकारियों- उप-राष्ट्रपति जे डी वांस, श्रम मंत्री कीथ सॉण्डरलिंग और एटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खबर दी। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचसीएलटेक और कैपजेमिनी को पर्म प्रोग्राम से निलंबित किया जा रहा है। यह कार्रवाई 'एंटी 'फ्रॉड टास्कफोर्स' के तहत हुई है। उन्होंने इन कंपनियों पर वीजा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

अमेरिका में आठ बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने भारत के सामने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है। जिन भारतीय इंजीनियरों और हुनरमंद पेशवरों की प्रतिभा ने अमेरिकी टेक उद्योग को दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, अब उन्हीं की लियाकत और उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप सरकार का आरोप है कि इन कंपनियों ने विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के नियमों का दुरुपयोग किया और अमेरिकी कामगारों को निकालकर विदेशियों को सस्ती मजदूरी पर नौकरियां दीं।

इसीलिए श्रम मंत्री कीथ सॉण्डरलिंग ने कहा कि उन्होंने सांप का सिर कुचल दिया है। जो कंपनियां यह जाल फरेब रच रही थीं, उन्हें ही निलंबित कर दिया, लेकिन उन्होंने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, उसने विवाद को गंभीर बना दिया है। सवाल है, यह घोषणा सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के रोजगार बचाने के लिए है या आप्रवासन नीति को कठोर करके भारत को कोई कठोर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी है ? भारत इसका जवाब कैसे दे टकराव से, कूटनीति से या कारोबार व रोजगार के मामले में अपनी ताकत बढ़ाकर ?

यहां एक फर्क समझना जरूरी है। एच-1बी वीजा अमेरिका में जाकर नौकरी करने की अस्थायी अनुमति देता है, जबकि ग्रीन कार्ड वहां बसने का रास्ता है। इस फैसले का यह मतलब कतई नहीं है कि वहां काम कर रहे सभी भारतीय कर्मचारियों के वीजा तत्काल रद्द हो जाएंगे। हां! एच-1बी वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे जिन पेशवरों की ग्रीन कार्ड की अर्जियां मंजूरी के नजदीक थीं, उनके लिए अब मामला गंभीर हो सकता है। खासकर ऐसे लोग, जो वर्षों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं और जिन्होंने ग्रीन कार्ड मिलना तय मानकर अपनी और अपने परिवार के भविष्य की योजनाएं बना रखी हैं।

पाबंदी की घोषणा के साथ ही कहा गया है कि साल 2009 से अब तक इन कंपनियों ने 30 लाख विदेशियों को नौकरियां देने की इजाजत मांगी और ये 2,30,000 एच-1बी वीजा ले चुकी हैं और एक लाख से ज्यादा परमानेंट लेबर सर्टिफिकेट, यानी ग्रीन कार्ड आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी नागरिकों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह उनसे डेढ़ गुना विदेशी लोगों को कम पगार पर काम दिया है।

संबंधित कंपनियों ने इन आरोपों को गलत बताया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अमेरिका में उसके ज्यादा कर्मचारी अमेरिकी नागरिक ही हैं, और उसने जो एच-1बी वीजा आवेदन किए, उसका बड़ा हिस्सा पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के वीजा की तारीख बढ़ाने या उनकी श्रेणी बदलने के मामले थे, न कि नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए। टीसीएस ने भी कहा है कि अमेरिकी सरकार के नए फैसले से उसके काम पर असर पड़ने की आशंका नहीं

है। कंपनी अगले पांच वर्षों में 15,000 कर्मचारियों की भर्ती करने का इरादा रखती है व स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों को रोजगार देने को प्रतिबद्ध है।

अमेरिका के टेक कारोबार में भारतीयों की अहमियत समझने के लिए सिर्फ 2024 के अमेरिकी सरकार के आंकड़े को देखना दिलचस्प होगा। इस साल जितने एच-1बी वीजा दिए गए, उनमें 71 प्रतिशत भारतीय थे। हालांकि, यह सिर्फ इंजीनियरों का आंकड़ा नहीं है। दूसरी तरफ, भारत से अमेरिकी टेक्नोलॉजी उद्योग का कुल निर्यात 2024-25 में करीब 224 अरब डॉलर था। ऐसे में, ग्रीन कार्ड को लेकर अगर अमेरिका का रुख ऐसा ही रहा, तो फिर कंपनियों को अपने काम का अंदाज बदलना ही होगा।

भारतीय पेशेवरों को जोहो (प्रौद्योगिकी कंपनी) के संस्थापक श्रीधर वेंबू की बात पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस मसले पर एक्स पर लिखा है कि भारतीयों ने अमेरिका के तकनीकी कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अब अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा हमें नहीं चाहता। उन्होंने आगे लिखा है- 'कम 'बैक, लेट्स बिल्ड इंडिया' यह एक आह्वान है। एक सपना भी, जो भारत में बहुत से लोग बहुत समय से देख रहे हैं। हम अपना उद्योग, अपनी ताकत क्यों न बनाएं ?

इतिहास गवाह है, 1960 के दशक में अनाज की किल्लत से जूझते भारत ने कुछ तात्कालिक मदद भी ली, पर साथ ही इसने बीज, सिंचाई एवं कृषि अनुसंधान में निवेश किया, हरित क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया। यह बताता है कि लंबे दौर में आत्म-निर्भरता और आत्म- सम्मान का रास्ता दूसरे देशों की शर्तों पर सवाल उठाकर नहीं, अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता हासिल करने से निकलता है। इस वक्त भारत और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर काम चल रहा है। यूरोप भारत के लिए अमेरिकी बाजार का विकल्प तो नहीं, पर एक और बाजार खुलने का अवसर जरूर है। इसी तरह, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और खाड़ी देशों के साथ भी तकनीकी सहयोग और हुनरमंद नौजवानों के लिए अवसर बढ़ाने चाहिए।

इस वक्त अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हमें अपनी कंपनियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही, घरेलू क्षमता तथा वैकल्पिक बाजारों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आखिर में किसी देश की असली ताकत उसके नागरिकों को विदेश में मिलने वाले वेतन से नहीं मापी जा सकती। वह तो इस बात से ही तय होगी कि वह देश अपने यहां कितना ज्ञान, कितनी तकनीक और कितने अवसर पैदा कर सकता है!